राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ-4(14)संविदा/विधि/परा/2012/1125 दिनांक: 08 सितम्बर 2014

परिपत्र

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण कार्य संम्बन्धी कार्यकलापों में पारदर्शी वित्तीय अनुशासन एवं नियंत्रण हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 181 में अधिसूचना दिनांक 2 मई, 2012 द्वारा संशोधन कर **"संविदा पर संकर्मो का निष्पादन"** का प्रावधान किया गया था।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–4(14)संविदा/विधि/परा/2012/2069 दिनांक 21.09.2012 के द्वारा संशोधित नियम 181(1) के तहत "ठेके के माध्यम से निर्माण हेतु अपनाई जाने वाली प्रकिया "निर्धारित" की गई थी जिसके **"बिन्दु संख्या – 10" सूचीबद्धकरण "(Enlistment of Contractors"** के अन्तर्गत ठेकेदारों के सूचीबद्धता की प्रकिया निर्धारित की गई थी, जिसमें "बेरोजगार इंजीनीयर्स की सूचीबद्धता" का भी प्रावधान किया गया था।

संदर्भित परिपत्र की निरन्तरता में बेरोजगार इंजीनीयर्स की सूचीबद्धता" से सम्बन्धित जारी प्रावधानों के अतिरिक्त निम्न दिशा निर्देश एवं प्रकिया भी निर्धारित की जाती हैं :-

1. **बेरोजगार इंजीनीयर्स के सूचीबद्धता हेतु पात्रता :–**

1.1 अभियंता के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनीयरिंग में डिग्री अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनीयरिंग में डिप्लोमा हो।

1.2 सूचीबद्धता की दिनांक को अभियंता की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 35 वर्ष तक हो, यदि सूचीबद्धता के पश्चात भी 2 वर्ष की अवधि में अभियंता द्वारा कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाता है एवं उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो जाती है तो उसका नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।

1.3 अभियंता राजस्थान का मूल निवासी हो।

1.4 जो अभियंता सरकारी संस्थानों/गैर सरकारी संस्थानों/निजी संस्थानों में किसी भी रूप में कार्यरत हों वे सूचीबद्धता हेतु पात्र नहीं होंगे।

नोट : उक्त पात्रता हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

सूचीबद्धता हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्न दस्तावेज के नम्बर एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति भी प्रस्तुत किये जायेंगे :-

1. पेन कार्ड
2. आधार कार्ड
3. वोटर आईडी कार्ड
4. बैंक की नवीनतम पासबुक
5. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर (यह प्रमाण पत्र बाद में भी दिया जा सकता है)
6. वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट टैक्स नम्बर/वैट नम्बर (यह प्रमाण पत्र बाद में भी दिया जा सकता है)

3. बेरोजगार इंजीनीयर्स से 'ई' श्रेणी की सूचीबद्धता हेतु निर्धारित सूचीबद्धता शुल्क एवं पंजीकरण सुरक्षा राशि का केवल 50% ही लिया जावेगा।
4. बेरोजगार इंजीनीयर्स का सूचीबद्धता केवल 'ई' श्रेणी संवेदक के रूप में ही किया जावेगा।

(श्रीमन्त पाण्डेय) 8/9
प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, जयपुर।
7. निदेशक, जलग्रहण एवं भूं–संरक्षण विभाग, जयुपर।
8. जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

8/9
अतिरिक्त आयुक्त